राजस्थान सरकार परिवहन विभाग

सं. एफ 7(117) परि/रूल्स/एच.क्यू./1994 | 16869

जयपुर, दिनांक : 31.08.2015

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 118 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक. एफ 7(117) परि/नियम/1994/3999 दिनांक 25.06.2012 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, लोकहित में इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि 1 अक्टूबर, 2015 के पूर्व राज्य में रिजस्ट्रीकृत और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 118 के उप-नियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन नहीं आने वाले मोटर यानों में 1 अप्रैल, 2016 को या उससे पूर्व समय-समय पर यथा-संशोधित ए आई एस :018/2001 मानक के अनुरूप 80 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम पूर्व-निर्धारित गति वाले स्पीड गवर्नर उन यानों के आपरेटरों द्वारा फिट किये जायेंगे या लगाये जायेंगे;

परंतु संकटग्रस्त माल वहन करने वाले परिवहन यानों और ऐसे परिवहन यान जो डंपर, टैंकर या बाल वाहिनी है, में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम पूर्व निर्धारित गति वाले स्पीड गवर्नर

लगाये जायेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. मनीषा अरोडा) संयुक्त शासन सचिव

सं. एफ 7(117) परि/रूल्स/एच.क्यू./1994 16870-884

जयपुर, दिनांक : 31 08 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 37:08-15 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।

निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।

विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।

निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।

- महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
- विधि (संहिताकरण) विभाग, जयपुर।

समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।

10. अपर परिवहन आयुक्त,(समस्त) जोन।

- 11. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
- 12. प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी.....समस्त ।
- 13. समस्त प्रभारी अधिकारी कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग।
- 14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Government Of Rajasthan **Department Of Transport**

S.No :F 7(117)Trans/rules/Hq/1994 [1686 9

Jaipur, Dated: 31-08-2015

Notification

In exercise of the powers conferred by the sub-rule (2) of rule 118 of Central Motor Vehicles Rules,1989 and in supersession of this department's Notification number F 7(117) Pari/Rules/1994/3999 Dated 25.06.2012, the State Government in public interest hereby specifies that the transport vehicles registered in the state prior to the 1st October, 2015 and are not covered under the first proviso of sub-rule (1) of rule 118 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall be equipped or fitted by the operators of those vehicles with a speed governor having a maximum pre-set speed of 80 kilometer/hour conforming to the standard AIS:018/2001, as amended from time to time, on or before 1 April, 2016:

Provided that the transport vehicles carrying hazardous goods and those transport vehicles that are dumpers, tankers or school buses shall be equipped with a speed governor having a maximum pre-set speed of 60 kilometer/hour.

By the order of Governor,

(Dr. Manisha Arora) Joint Secretary to the Government

S.No: F7(117) Trans/rules/Hq/1994 | 16870 - 16884

Jaipur, Dated: 31.08.2015

- 1. The Superintendent, Government Central Press, Jaipur. This notification may kindly be published in the extra-ordinary Gazette dated 31:08:15 and a copy thereof may be sent to this department.
- 2. P.S. to Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.

3. S.A. to Hon'ble Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.

4. P.S. to Hon'ble State Minister, Department of Transport, Rajasthan, Jaipur.

5. P.S. to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.

- 6. P.S. to Transport Commissioner and Secretary to the Government of Rajasthan, Jaipur.
- 7. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.

8. Managing Director, RSRTC, Jaipur.

9. Law (Codification) Department, Jaipur.

10. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.

11. All Additional Transport Commissioner, Zone.

12. Shri Sanjay Singhal, S.A. for updating departmental website.

13. All Regional/Addl. Regional District Transport Officers.

14.All Officer In-charge Tax Collection Centers of Transport Department.

15. Guard file.

Joint Secretary to the Government